रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2621] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 12, 2017/भाद्र 21, 1939
No. 2621] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 12, 2017/BHADRA 21, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2017

का.आ. 2995(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

और, अक्षांश 26°56'15.08" उत्तर और 26°57'5.81" उत्तर तथा देशांतर 75°48' 55.70" पूर्व और 75°46'54.65" पूर्व के मध्य और राजस्थान सरकार की अधिसूचना सं. एफ. 11(39) राजस्व/8/80 तारीख 22 सितम्बर, 1980 द्वारा अधिसूचित नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जिला जयपुर, राजस्थान की अम्बर पहाड़ियों पर अरावली पर्वतमाला में स्थित है और 52.40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ;

और, चैम्पियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य में 'उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन' और 'उष्णकटिबंधी कंटक वन' हैं और वन अनेक भू-वैज्ञानिक तथा मृदा निर्मितियों और अरावली के पहाड़ी भू-भागों में फैला हुआ है और इसीलिए उसकी संरचना में भिन्नता है ;

और, वन्यजीव अभयारण्य में विविध वनस्पतियों एवं जीव-जन्तु के लिए आश्रय है और मुख्य वनस्पति सालार (*बोसवेलिया सेर्राटा*), गुर्जान (*लिनीएया ग्रेडिस सिन्. एल. कोरोमैंगेलिका*), तेंदु (*डिस्पिरोस मेलेनोक्सिलोन*), कर्या (*स्टरकुलीया यूरेंस*), गुगल (*कमिफोरा मुकुल*), अमलतास (*कैसिया फ़िस्टुला*), अवाला (*एम्बेलिका ऑफिसिनलिंस*), बिन्नस (*हेस्परथुसा क्रेनुलाटा*), उम (*सीकोपोटेल्म टोमेंटोसा*), गोया खीर (*डिस्ट्रोस्टाची सिनीरिया*), सैनेजा (*मारिंगा पेटीरागोस्पार्मा*), धाक (*ब्यूटेया मोनोस्पर्म*), राहन (*सोयदमिदा फबरग्यूगा*), मोखा

(*स्केरेब्रा स्वेटेनाइडेस*), रोहिणी (*मल्लटस फ़िलिपेंनीसिस*), बेर (*ज़िज़फस जुजुबा, ज़मॉरिटीयाना*), जामुन (*सायजीगुइम कुमिनी*), गुलर (*फ़िकस ग्लोमेरेटा*), कदम (*मितोजायना परविपोलिया*), बहिरा (*टर्मिनलिया बेल्लेरिका*), धोरा (*एनोजीसस लैटिफ़ोलिया*), खजूर (*फीनिक्स सिवेस्ट्रिस*), हिंगोट (*बैलानाइट्स इजिप्टिका*), खैर (*अकाकिया केटैचु*), सेवन (*गमेलिया अर्बोरिया*), अर्जुन (*टर्मिनलिया अर्जुना*), नीम (*अजादिरचट्टा इंडिका*), पीपल (*फिकस रेलिगियोसा*), बरगद (*फिकस बेंगलेंसिस*), शिशम (*डाल्बर्गिया सीससो*), बिजसल (*पटरोकारपस मरसुपियस*), काकोन (*फ्लैकॉरिटा इंडिका*), खरीनी (*राइटिया टिन्टोरिया*), दुधी (*राइटिया टोमेंटोसा*), झिंझा (*बाउनीया रिसेमोसा*), कासियारिया (*कासियारिया टोमेंटोसा*), बार्न (*क्रिएटेवा रेलीग्यूसा*), बेल (*एजेले मर्मलोस*), रोंज (*अकाकिया मर्मलोस*), लिसोरा (*कॉर्डिया मायक्सा*), चूरेल (*होलोपटेलिया इंटरग्रिफ़ोइला*), आम (*मंगिफेरा अंडिका*), इमली (*तामारिंडस इंडिका*), कैथ (*लिमोनिया एसिडिसिमा*), सिरीस (*अल्बिजिया लेबके*), सेमल (*बमबज सीरीबा*), सेलास्ट्रास (*क्लिटस्ट्रस पॅनिकुलाटस*), आदि अभयारण्य की मुख्य वनस्पतियां है।

और, वन्यजीव अभयारण्य में विविध वनस्पतियों एवं जीव-जन्तु के लिए आश्रय है और मुख्य जीवजन्तु बीटा (*लोहियो रोहता*), कैटल (*कैटला कैटला*), ग्रेयई (*छाना मारुलीयन*), लांची (*वालगो ऑटो*), महशीर (*टोरटोर स्पा.*), मिरगल (*सर्चिन्स मारिगल*), रोहो (*लैबियो रोहिता*), सवंक (*छाना पंकटैटस*), सेनघारी (*मायटस सिंघालाल*), सामान्य भारतीय मेढ़क (*बुफो मेलानोस्टिक्टस*), सामान्य मेढ़क (राना टिग्रीना), बैंडेड करैत (*बगोरस फसीसैटस*), कोबरा (*नाजा नाजा*), सामान्य करैत (*बंगरस कैरियुलेस*), फ्रेश वॉटर ऑफ स्वैमप मगरमच्छ (*क्रोकॉडायलस पलुसट्रीस*), भारतीय अजगर (*पायथन मॉलुरुस*), उत्तर भारतीय फ्लैप शेल्लड कछुआ (*ल्यूसैमीस पंकटता पंक्टाटा*), रैट साँप (*पीटास म्यूकोस*), तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*) आदि अभयारण्य की मुख्य जीव जन्तु है।

और, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 से 13 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन, की सीमा के चारों ओर 0 से 13 किलोमीटर के विस्तार के साथ 79.356 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारी शहरीकरण की ओर शून्य विस्तार है। अभयारण्य को विभाजित करके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं **उपाबंध I (क)** और **I (ख)** में दिया गया है।

(2) संरक्षित क्षेत्र की सीमा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध II (क)** और **II (ख)** में दी गई है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमा विवरण **उपाबंध III** में दिया गया है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) यह महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से ऐसा क्षेत्र है जो सरिस्का बाघ आरक्षित (एस.टी.आर.) तथा रणथंबोर बाघ आरक्षित (आर.टी.आर.) तक बिखरे तेंदुआ जैसे पशुओं के लिए टिकने का एक साधन सिद्ध हो सकता है और इसीलिए आचंलिक महायोजना तैयार करते समय उनके अतिरिक्त संरक्षण तथा जीर्णोद्धार के लिए क्षेत्रों विशेष रुप से पहाड़ी इलाकों के क्षेत्रों की पहचान के प्रयास किए जाने चाहिए।

(5) आचंलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित को करने के लिए राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात् :--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन;

(iii) शहरी विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिक;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि;

(viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग।

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकी अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिकी अनुकूल विकास और स्थानीय समुदयों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ बनाना तथा नई सड़कों का निर्माण;

(ii) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं:

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत --** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राजस्व और वन विभाग राजस्थान सरकार के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) होटलों और रिर्सोटों का नया संनिर्माण नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 कि.मी. के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी से परे, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिर्सोटों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी ।;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **निगरानी समिति –** पहली निगरानी समिति की अवधि के पूरा होने पर, राज्य सरकार केंद्रीय सरकार को संदर्भित किए बिना पैरा 5 में दी गई संरचना के अनुसार बाद में निगरानी समितियों का पुन: गठन करेगी।

(5) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी जायेगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी।

(7) **ध्वनि प्रदूषण** – राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए विनियम क्रियान्वित किया जाएगा।

(8) **वायु प्रदूषण** – वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 4) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(9) **बहिस्राव का निस्सारण -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत शामिल पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सारण के लिए सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जायेगा।

(10) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(11) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में समय-समय पर यथा संशोधित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई साझा उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(12) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **यानीय यातायात -** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति से विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार गतिविधियों के अनुपालन को मानीटरी करेगी ।

(16) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि किए जायेंगें ।

(17) **औद्योगिक इकाइयां .–** (क) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापन्न, विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण के कोई नए उद्योग का स्थापन्न नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ;

		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषणकारी करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	नए बृहत जल विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
7.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान नए काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार चालू रह सकते हैं।
9.	मत्स्य ग्रहण।	सभी जल निकायों, जिनके अंतर्गत औरई और नाहरगढ़ बांध है, में मत्स्य-ग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
10.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगे।
11.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
विनियमित क्रियाकलाप		
12.	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः परन्तु यह कि स्थानीय निवासियों को उनकी घरेलू आवश्यकताओं, जिनके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अनुज्ञात किया जाएगा : परन्तु यह और कि प्रदूषण न फैलाने वाले उद्योगों से संबंधित संन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) 1 किलोमीटर के आगे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार

		तक सदभवी बोना फाइड स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी। (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना आदेशों का अनुसरण किया जाएगा।
15.	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा। (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है। (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा। (घ) किसी भी स्त्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
16.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे।	रेलवे लाइनों के अतिरिक्त लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
17.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
20.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
21.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
23.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
24.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे।
25.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
26.	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

31.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	वन विभाग द्वारा सरकारी मानीटरी/सर्वेक्षण के अधीन प्रतिषिद्ध होंगे।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिनिधियां।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
33.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
36.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	बायोगैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को बढ़ावा दिया जायेगा।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
41.	निम्नीकृत भूमि/वन/आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, राजस्थान राज्य के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

i.	जिला कलेक्टर, जयपुर	- अध्यक्ष;
ii.	उपखंड अधिकारी, आमेर	– सदस्य;
iii.	पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किसी गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	- सदस्य;
iv.	पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेशज्ञ	– सदस्य;
v.	अवैतनिक वन्यजीव वार्डन, जयपुर	– सदस्य ;
vi.	क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	– सदस्य;
vii.	मेयर, जयपुर नगर निगम	– सदस्य;
viii.	प्रधान, पंचायत समिति, आमेर	–सदस्य;
ix.	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य,	- सदस्य;
x.	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर	– सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधनः

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल इस अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) मानीटरी समिति उन क्रियाकलापों को अनुज्ञात नहीं करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचनाओं अर्थात् पर्यावरण प्रभाव निर्धारण, 2006 का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा और तटीय विनियमन जोन का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 और इनमें किए गए पश्चात्वर्ती संशोधनों की अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत भी आते हैं जिनके अंतर्गत इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप भी हैं। श्वेत प्रवर्ग के उद्योगों पर "उद्योगों के वर्गीकरण, 2016" के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार विचार किया जाएगा।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे।

[फा. सं. 25/60/2015-ईएसजेड/आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I क

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के ब्यौरे दर्शित करने वाला मानचित्र

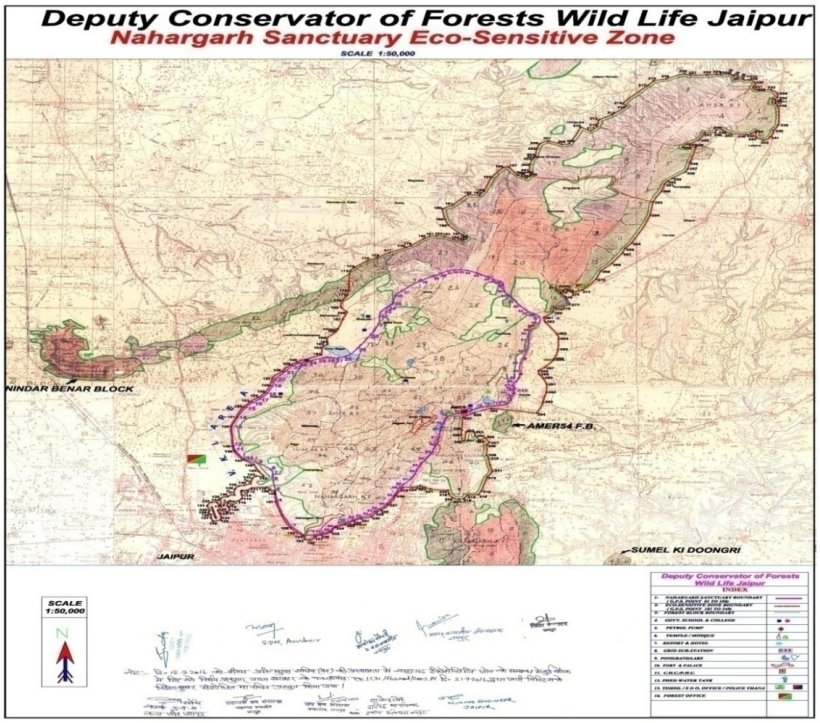

उपाबंध I ख

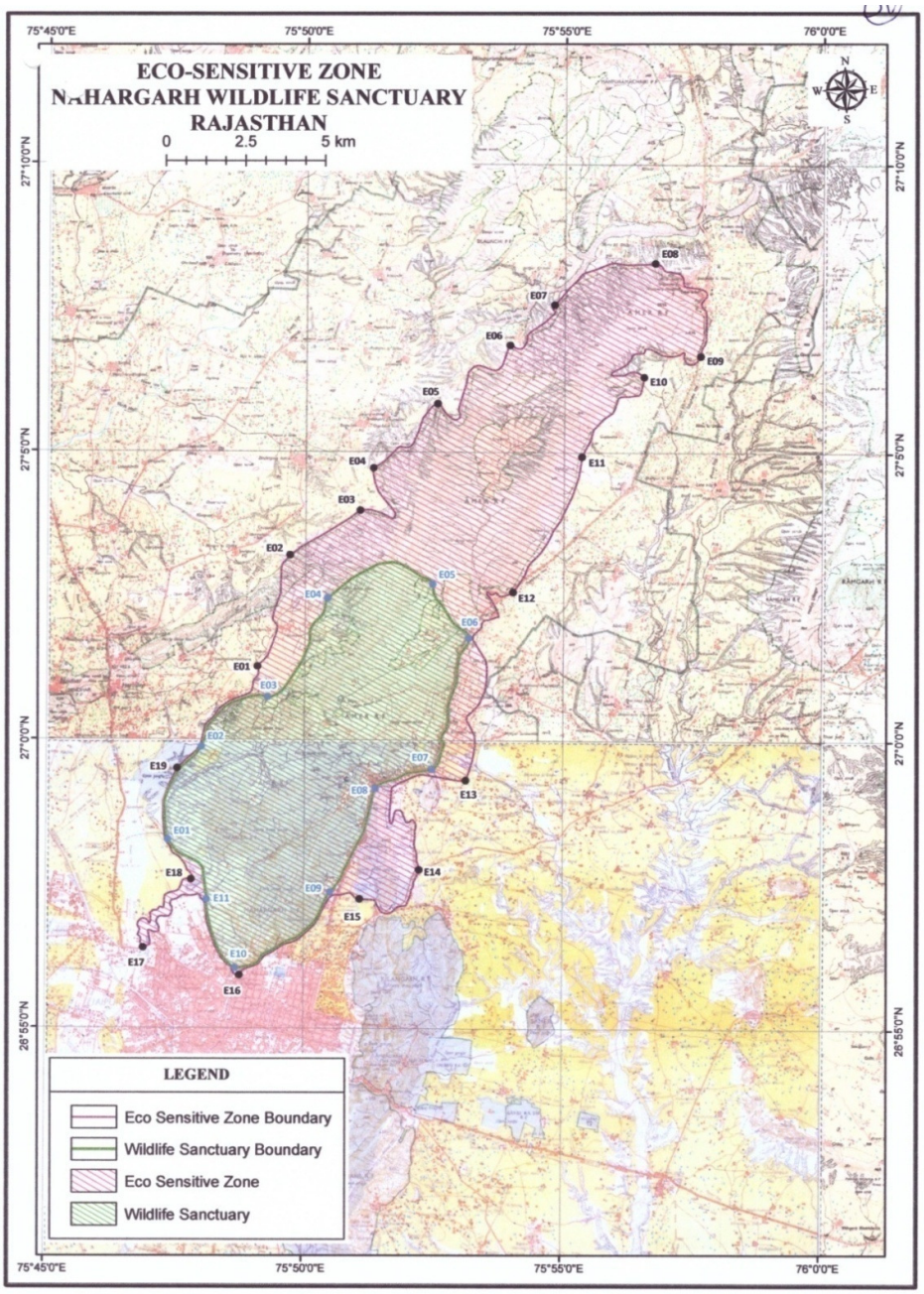
ECO-SENSITIVE ZONE
NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY
RAJASTHAN
0 2.5 5 km
N
W
E
S
75°45'0"E
75°50'0"E
75°55'0"E
76°0'0"E
27°10'0"N
27°5'0"N
27°0'0"N
26°55'0"N
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
LEGEND
Eco Sensitive Zone Boundary
Wildlife Sanctuary Boundary
Eco Sensitive Zone
Wildlife Sanctuary

उपाबंध II(क)

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ भूमंडलीय स्थिति प्रणाली के बिंदुओं के निर्देशांक

क्र.सं.	सं.	देशांतर	अक्षांश
1	पू 01	75°47.371' पू	26°58.265' उ
2	पू 02	75°48.007' पू	26°59.880' उ
3	पू 03	75°49.285' पू	27°0.745' उ
4	पू 04	75°50.435' पू	27°2.456' उ
5	पू 05	75°52.463' पू	27°2.707' उ
6	पू 06	75°53.165' पू	27°1.782' उ
7	पू 07	75°52.473' पू	26°59.496' उ
8	पू 08	75°51.376' पू	26°59.165' उ
9	पू 09	75°50.513' पू	26°57.359' उ
10	पू 10	75°48.680' पू	26°56.040' उ
11	पू 11	75°48.127' पू	26°57.228' उ

उपाबंध II(ख)

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ भूमंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांकों के बिंदु

क्र.सं.	सं.	देशांतर	अक्षांश
1	पू 01	75°49.086' पू	27°1.275' उ
2	पू 02	75°49.701' पू	27°3.207' उ
3	पू 03	75°51.057' पू	27°3.983' उ
4	पू 04	75°51.308' पू	27°4.720' उ
5	पू 05	75°52.545' पू	27°5.842' उ
6	पू 06	75°53.940' पू	27°6.855' उ
7	पू 07	75°54.792' पू	27°3.561' उ
8	पू 08	75°56.743' पू	27°8.287' उ
9	पू 09	75°57.626' पू	27°6.676' उ
10	पू 10	75°56.095' पू	27°6.325' उ
11	पू 11	75°55.338' पू	27°4.929' उ
12	पू 12	75°54.020' पू	27°2.576' उ
13	पू 13	75°53.122' पू	26°59.305' उ
14	पू 14	75°52.234' पू	26°57.750' उ
15	पू 15	75°51.088' पू	26°57.243' उ
16	पू 16	75°48.772' पू	26°55.913' उ
17	पू 17	75°46.908' पू	26°56.384' उ
18	पू 18	75°47.830' पू	26°57.569' उ
19	पू 19	75°47.542' पू	26°59.496' उ

उपाबंध III

प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओं का वर्णन

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओ को चित्रांकित करने के लिए, राजस्व विभाग द्वारा दिए गए सभी संरचनाओं, निवास स्थानों, सार्वजनिक संस्थानों, औद्योगिक क्षेत्रो, धार्मिक स्थानो और अन्य सार्वजनिक स्थानो को उपाबंध में दिए गए मानचित्र में चिंहित किया गया है। भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दुओं को 1 से 100 तक के संख्यों द्वारा मानचित्र मेs अभयारण्य की सीमा पर अंकित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के बिन्दुओं को तदापुरांत 101 से 340 तक के अंको द्वारा मानचित्र में चिंहित किया गया है। मानचित्र उपाबंध III में उपाबद्ध है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निर्धारित सीमाओं को भू-मंडलीय स्थिति बिन्दुओं द्वारा निम्न प्रकार मानचित्र में दर्शाया गया है-

उत्तरी सीमा : पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाओ पर भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 186 संरक्षित वन के ब्लाक कि सीमा पर अमेर,-54 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर सम्मिलित ग्राम भगवारा, सिंगवाना, छिप्पारदी, जैतुपरा किन्ची, अचरोंल, अंधी, लाबाना, गुनावाना, धंध, हरबर से कुकास से भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दु संख्या 274, से 13 किलोमीटर होगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन कि सीमा से भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 186 से 174 तक, संरक्षित वन अमेर-54 के सह-टर्मिनल होगें। और संपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्र, इन भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दुओं के मध्य स्थिर होगा।

पूर्वी सीमा : पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली बिन्दु संख्या 275 से 284 संरक्षित वन ब्लाक सीमा, भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 284 से 285, राष्ट्रीय सड़क सं.8 (अब एनएच-II-सी) के साथ-साथ होगा, भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 285 से 299, अभयारण्य सीमा 100 से 400 मीटर होगा। इसी तरह, एनएच 8 (अब II सी) कि सीमा के साथ-साथ भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 299 से 301 पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होगे। अभयारण्य सीमा से भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 324 से 329 पारिस्थितिकी संवेदी जोन कि सीमा में होंगे जिसमें राजमल का तालाब सम्मिलित है। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 301 से 329 पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 100 मीटर से 20 किलोमीटर होगा।

दक्षिणी सीमा : पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 329 से 340 और 101 की अभयारण्य कि सीमा के सह टर्मिनल तक होगा। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 101 से 104 संरक्षित वन ब्लाक अमेर-54 की सीमा के सह-टर्मिनल होंगे। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 104 से 108 तक अभयारण्य की सीमा सह-टर्मिनल होंगे। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु संख्या 108 से 147, अमीनाशाह नूल्लाह कि प्राकृतिक सीमा के साथ-साथ होंगे।

पश्चिमी सीमा : अभयारण्य की सीमा से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा पर, भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु सं. 147 से 160 सह-विस्तारित होंगे। भू-मंडलीय स्थिति बिन्दु 160 से 186 तक 50 मीटर से 2 किलोमीटर होगा। जिसमें भाव सागर, अखेपुरा, बढ़ागाँव, भारिया, भीजयगढ़ क्षेत्र सम्मिलित है। ये सभी संदर्भित बिन्दु उपाबंध III मे प्रदर्शित है।

उपाबंध IV

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अभयारण्य ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	नाहरगढ़	26°56'15.08"उ	75°48'55.70" पू
2	आमेर	26°59'8.19"उ	75°51'4.82"पू
3	चिमनपुरा	27° 1'23.51"उ	75°54'4.74"पू
4	कुकास	27° 1'50.37"उ	75°53'24.08"पू
5	नेतीवास	27° 1'39.28"उ	75°52'25.41"पू
6	खुर्द	27° 2'4.37"उ	75°53'7.23"पू
7	तेलादा	27° 2'41.57"उ	75°52'25.42"पू
8	बेडेगांव झरखेया	27° 2'14.47"उ	75°51'22.67"पू
9	सिसियावास	27° 0'37.93"उ	75°50'51.32"पू
10	अकेदा	27° 0'25.41"उ	75°48'45.67"पू
11	जेसला	26°59'36.43"उ	75°49'17.09"पू
12	पेपाद	26°58'4.10"उ	75°47'41.57"पू
13	किशनबाग	26°57'5.81"उ	75°46'54.65"पू

क्र. सं.	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	कुकास	27° 1'50.37"उ	75°53'24.08"पू
2	हरवार	27° 3'58.08"उ	75°56'25.90"पू
3	धन्द	27° 4'44.03"उ	75°56'20.66"पू
4	गुनावाता	27° 5'34.61"उ	75°56'57.21"पू
5	लाबाना	27° 6'38.16"उ	75°57'45.56"पू
6	अनी	27° 7'5.48"उ	75°59'7.83"पू
7	अचोराल	27° 8'8.37"उ	75°58'20.78"पू
8	जैतपुरा किनची	27° 7'58.38"उ	75°55'2.24"पू
9	छिप्परारी	27° 6'44.47"उ	75°54'51.62"पू
10	सिंहाना	28° 5'52.77"उ	75°50'0.01"पू
11	चोकालयावास उर्फ केचरेवाला	27° 4'30.74"उ	75°55'2.22"पू
12	भगवाडा	27° 5'28.14"उ	75°50'51.42"पू
13	दौलतपुरा	27° 4'46.15"उ	75°49'53.80"पू

उपाबंध V

पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2017

S.O. 2995(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period specified above to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at eszmef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Nahargarh Wildlife Sanctuary lying between latitudes $26^0$56'15.08''N & $26^0$57'5.81''N and longitudes $75^0$48'55.70''E & $75^0$46'54.65''E and notified vide Government of Rajasthan notification No. F11(39) Revenue/8/80 of dated the 22nd September,1980 is situated in the Aravalli ranges at Amber hills, Jaipur District of Rajasthan and is spread over an area of 52.40 square kilometers;

AND WHEREAS, the Sanctuary has ''Tropical Dry Deciduous Forest'' and "Tropical Thorn Forest" as per classification of Champion and Seth. The forest is spread over the area on various geological and soil formations and hilly terrain of Aravalis and hence varies in composition;

AND WHEREAS, the Wildlife Sanctuary has a varied habitat of diversified flora and the major flora of this sanctuary includes Salar (*Boswellia serrata*), Gurjan (*Linnaea gradis Syn. L. coromangellica*), Tendu (*Dispyros melanoxylon*), Karaya (*Sterculia urens*), Gugal (*Commiphora mukul*), Amaltas (*Cassia fistula*), Awanla (*Embellica officinalis*), Binnas (*Hesparathusa cranulata*), Um (*Seccopetalum tomentosa*), Goya khir (*Dishrostachya cineria*), Sainja (*Maringa pterygosperma*), Dhak (*Butea monosperma*), Rahan (*Soydmida febriguga*), Mokha (*Scherebra swetenoides*), Rohini (*Mallatus philipnensis*), Ber (*Zizphus jujuba, Zmauritiana*), Jamun (*Syzyguim cumini*), Gular (*Ficus glomerata*), Kadam (*Mitragyna parvifolia*), Bahira (*Terminalia bellerica*), Dhaora (*Anogeissus latifolia*), Kahjur (*Phoenix syvestris*), Hingot (*Balanites aegyptica*), Khair (*Acacia catechu*), Sevan (*Gmelia arborea*), Arjun (*Terminalia arjuna*), Neem (*Azadirachta indica*), Peepal (*Ficus religiosa*), Bargad (*Ficus benghalensis*), Shiham (*Dalbergia sissoo*), Bijasal (*Pterocarpus marsupium*), Kakon (*Flacourita indica*), Kharini (*Wrightia tinctoria*), Dudhi (*Wrightia tomentosa*), Jhinjha (*Bauhinia recemosa*), Casaeria (*Casaeria tomentosa*), Barn (*Creataeva relegiosa*), Bel (*Aegle marmelose*), Ronj (*Acacia marmelose*), Lisora (*Cordia myxa*), Churel (*Holoptelia intergrifoila*), Aam (*Mangifera andica*), Imli (*Tamarindus indica*), Kaith (*Limonia acidissima*), Siris (*Albizzia lebbek*), Semal (*Bombaz ceriba*), Celastrus (*Cleastrus paniculates*) the main flora of the sanctuary.

AND WHEREAS, the Sanctuary has a varied habitat having diversified fauna. Fishes of this Sanctuary include Bita (*Lohio rohta*), Catal (*Catla catla*), Greyei (*Chhana marulion*), Lanchi (*Walago atto*), Mahseer (*Tor tor*), Mirgal (*Circhinus marigala*), Roho (*Labio rohita*), Savank (*Channa punctatus*), Seenghari (*Mystus seenghalal*). Apart from fishes, the Common Indian Toad (*Bufo melanostictus*), Common Frog (*Rana tigerina*), Banded Krait (*Bugorus fasciatus*), Cobra (*Naja naja*), Common Krait (*Bungarus caeruleus*), Fresh water Swamp Crocodile (*Crocodylus palustris*), Indian python (*Python molurus*), North Indian Flap shelled turtle (*Lissemys punctata punctata*), Rat Snake (*Ptyas mucosus*), Leopard (*Panthera pardus*) the main fauna of the sanctuary.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Nahargarh Wildlife Sanctuary as Eco-Sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 to 13 kilometers around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan as the Nahargarh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (after herein referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 79.356 square kilometers with an extent varying from 0 to 13 kilometers around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary. 0 extent is towards the sides with heavy urbanization. The maps of the Eco-sensitive Zone demarcating the Sanctuary and Eco Sensitive Zone boundaries are appended as **Annexure I (A)** and **I (B)**.

(2) The list of geo co-ordinates of the boundary of the Protected Area and the Eco-Sensitive Zone is at **Annexure II (A) and II (B)** respectively.

(3) The Boundary Description of the Eco Sensitive Zone is given at **Annexure III.**

(4) The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) This is one of the important protected areas which may provide stepping stone for animals like leopard, etc dispersing from Sariska Tiger Reserve (STR) and Ranthambore Tiger Reserve (RTR). and therefore, while preparing the Zonal Master Plan attempt should be made to identify areas especially of hilly region for their additional protection and restoration.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(ix) Rajasthan State Pollution Control Board;

(x) Irrigation; and

(xi) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.-** The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the catchment management plan shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit or and restrict development activities within the catchment areas.

(3) **Eco-Tourism.-** (a)The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Eco-Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Rajasthan in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Rajasthan.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) The activities relating to tourism shall be regulated as under, namely.-

(i) No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Nahargarh Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Monitoring Committee.-** Upon completion of the term of the first Monitoring Committee, the State Government shall re-constitute the subsequent Monitoring Committees as per the composition given at Para 5, without referring to the Central Government.

(5) **Natural Heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(6) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(7) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall implement the regulations for control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions stipulated of The Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(8) **Air pollution.-** Regulations for the control of air pollution in the Eco-Sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder shall be complied with.

(9) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made therein. –

(10) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(11) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste management and disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(i) No common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(12) **Plastic Waste Management**.- The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 340 (E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(13) **Construction and Demolition Waste Management**.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(14) **E-waste**.- The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(15) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(16) **Vehicular Pollution. -** Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuels like CNG, LPG, etc.

(17) **Industrial Units. -** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

5.	Establishment of new major hydroelectric & irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
9.	Fishing	There shall be complete ban on fishing in all the water bodies including Orai and Nahargarh dam.
10.	Use of Plastic carry bags.	Prohibited with immediate effect.
11.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	Regulated Activities	
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities shall in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of National Tiger Conservation Authority.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) beyond one kilometre upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be

		permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws except railway lines. Underground cabling may be promoted.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries termed as White Category as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
28.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
29.	Bio-Medical Waste Management.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
31.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited except for official monitoring/survey by the Forest Department.
Promoted Activities		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc. to be promoted.
38.	Agro Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
40.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Rajasthan, which shall comprise of the following, namely:-

i.	District Collector, Jaipur	- Chairman;
ii.	Sub Divisional Officer, Amer	- Member;
iii.	A representative of NGO working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years	-Member;
iv.	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years.	-Member;
v.	Honorary wildlife warden, Jaipur	- Member;
vi.	Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board	- Member;
vii.	Mayor Jaipur Municipal Corporation	- Member;
viii.	Pradhan, Panchayat Samiti, Amer	- Member;
ix.	Member of the State Biodiversity Board	– Member;
x.	Deputy Conservator of Forest/Wildlife Jaipur	-Member Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years from the date of issue of Notification.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.

(3) The Monitoring Committee shall not allow the activities that are covered in the Schedule to the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests namely Environmental Impact Assessment, 2006 vide S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and Coastal Regulation Zone, 2011 vide S.O. No. 19(E) dated 6th January, 2011 and subsequent amendments therein, and are falling in the Eco-sensitive Zone, including the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof. Only white categories of industries shall be considered as specified in the guidelines issued by the CPCB for "classification of Industries, 2016".

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and S.O. 19 (E) dated 6th January, 2011 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Commissioner shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State under intimation to this Ministry as per proforma appended at **Annexure V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal (NGT).

[F. No. 25/60/2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I A

Map of Nahargarh Wildlife Eco-Sensitive Zone showing boundary details

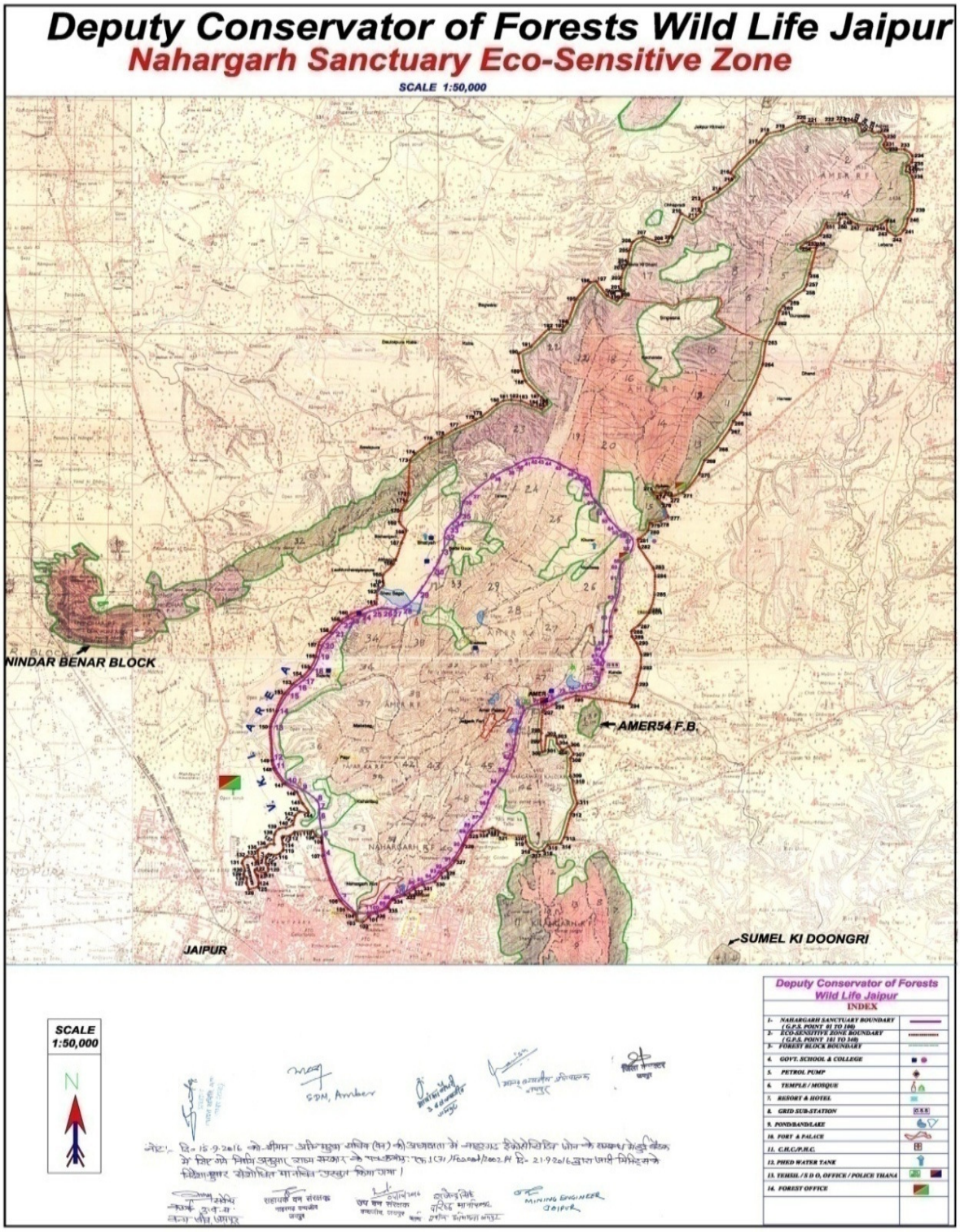

Annexure I B

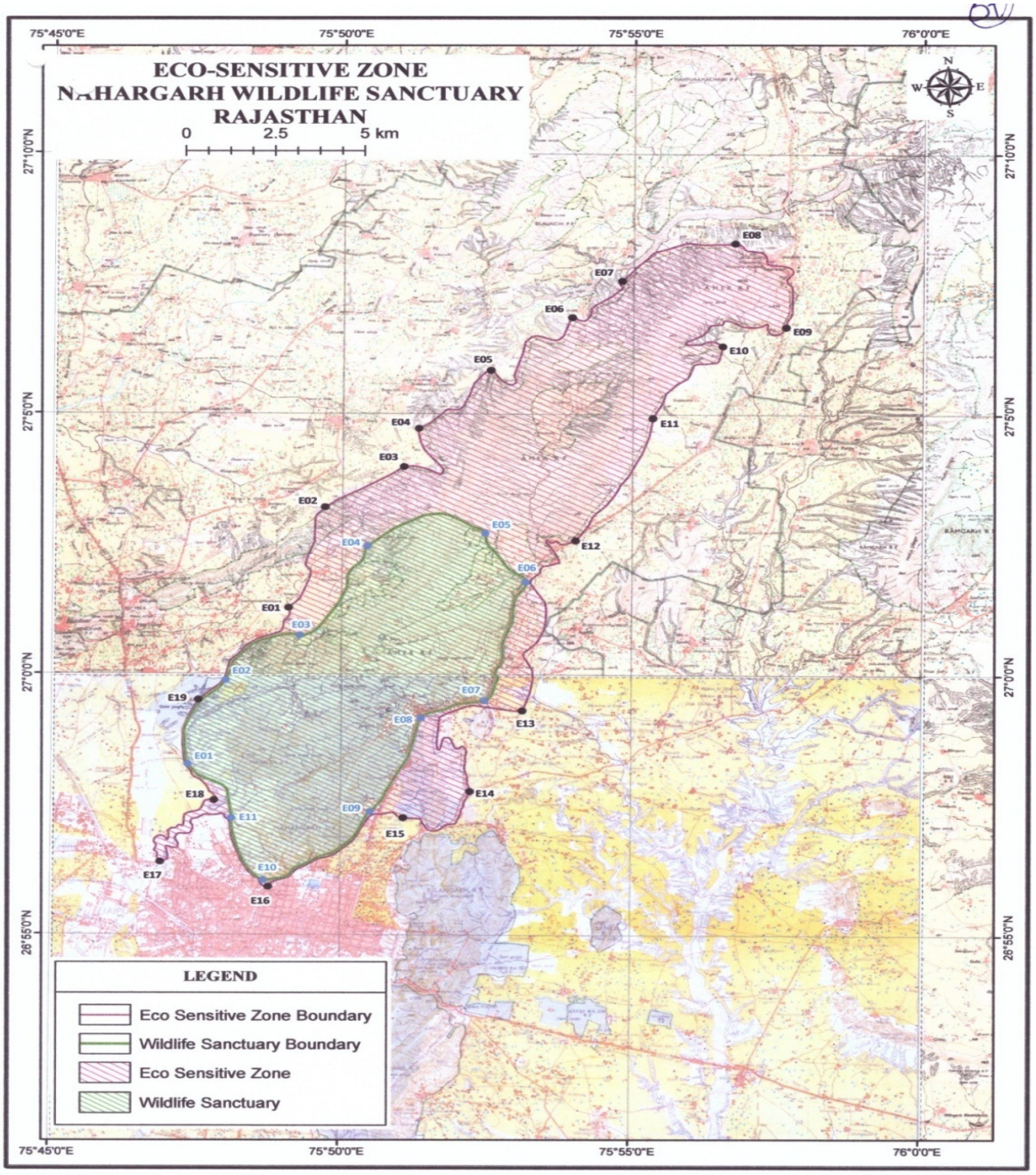
ECO-SENSITIVE ZONE
NAHARGARH WILDLIFE SANCTUARY
RAJASTHAN
0 2.5 5 km
75°45'0"E
75°50'0"E
75°55'0"E
76°0'0"E
27°10'0"N
27°5'0"N
27°0'0"N
26°55'0"N
N
S
E
W
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
LEGEND
Eco Sensitive Zone Boundary
Wildlife Sanctuary Boundary
Eco Sensitive Zone
Wildlife Sanctuary

Annexure II (A)

Geo Co-ordinates of prominent points along the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75^{0}47.371' E	26^{0}58.265' N
2	E02	75^{0}48.007' E	26^{0}59.880' N
3	E03	75^{0}49.285' E	27^{0}0.745' N
4	E04	75^{0}50.435' E	27^{0}2.456' N
5	E05	75^{0}52.463' E	27^{0}2.707' N
6	E06	75^{0}53.165' E	27^{0}1.782' N
7	E07	75^{0}52.473' E	26^{0}59.496' N
8	E08	75^{0}51.376' E	26^{0}59.165' N
9	E09	75^{0}50.513' E	26^{0}57.359' N
10	E10	75^{0}48.680' E	26^{0}56.040' N
11	E11	75^{0}48.127' E	26^{0}57.228' N

Annexure II (B)

Geo Co-ordinates of prominent points along the boundary of Eco-sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75^{0}49.086' E	27^{0}1.275' N
2	E02	75^{0}49.701' E	27^{0}3.207' N
3	E03	75^{0}51.057' E	27^{0}3.983' N
4	E04	75^{0}51.308' E	27^{0}4.720' N
5	E05	75^{0}52.545' E	27^{0}5.842' N
6	E06	75^{0}53.940' E	27^{0}6.855' N
7	E07	75^{0}54.792' E	27^{0}3.561' N
8	E08	75^{0}56.743' E	27^{0}8.287' N
9	E09	75^{0}57.626' E	27^{0}6.676' N
10	E10	75^{0}56.095' E	27^{0}6.325' N
11	E11	75^{0}55.338' E	27^{0}4.929' N
12	E12	75^{0}54.020' E	27^{0}2.576' N
13	E13	75^{0}53.122' E	26^{0}59.305' N
14	E14	75^{0}52.234' E	26^{0}57.750' N
15	E15	75^{0}51.088' E	26^{0}57.243' N
16	E16	75^{0}48.772' E	26^{0}55.913' N
17	E17	75^{0}46.908' E	26^{0}56.384' N
18	E18	75^{0}47.830' E	26^{0}57.569' N
19	E19	75^{0}47.542' E	26^{0}59.496' N

Annexure III

Description of Boundaries of proposed Eco-sensitive Zone

In order to delineate boundaries of Eco-sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary all field structures, habitations, water bodies, Industrial areas, religious places and other public institutes as provided by the revenue authorities have been marked on the map annexed with this notification. Geographical Positioning System have been marked on the Sanctuary boundaries, which are numbered from 1 to 100 on the map. Then the boundaries of Eco-sensitive Zone have also been marked on the same map and its Geographical Positioning System points have also marked on the boundary and numbered as 101 to 340.This map is annexed as Annexure-III. The boundary of Eco-sensitive Zone is decided as indicated by the Geographical Positioning System points shown on this map as under:

Northern boundary: The extent of Eco-Sensitive Zone from Global Position point number 186 marked on reserve forest block boundary Amer-54 and Eco-sensitive Zone boundary including villages Bagwara, Singwana. Chhapradi, Jaitpura Khinchi, Achrol, Ani, Labana, Gunawata, Dhandh, Harbar to Kukas to Global Position System point number 270 will be up to 13 kilometers. Eco Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 186 to 270 is co-terminus with the boundary of reserve forest block Amer-54 and will include the whole reserve forest in the Eco-Sensitive Zone within these Global Position System points.

Eastern boundary: The extent of Eco-sensitive Zone from Global Position System point number 270 to 280 will be Reserve forest block boundary, from Global Position System point number 280 to 281 will be along National Highway No. 8(Now NH-11-C), from Global Position System point number 281 to 295 will be 100 meters to 500 meters from sanctuary boundary. Similarly, the boundary along NH 8(Now 11 C) from Global Position System point 295 to 297 will be Eco Sensitive Zone. Reserve forest block boundary from GPS point number 297 to 320 will be Eco Sensitive Zone limit. Sanctuary boundary from Global Position System point number 320 to 325 will be Eco Sensitive Zone limit including Rajamal ka talab. The extent of Eco Sensitive Zone from Global Position System point number 297 to 325 will be from 100 meters to 2.0 kilometers.

Southern boundary: Eco Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 325 to 336 and up to 101 will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 101 to 104 it will be co-terminus with the boundary of reserve forest Block Amer -54. From GPS point number 104 to 108 it will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 108 to 147 it will run along the natural boundary (flow as well as bed area up to both banks) of Amanishah Nallah.

Western boundary: Eco Sensitive Zone boundary from Global Position System point number 147 to 160 will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 160 to 186 it will be 50 meters to 2 kilometers including Bahav sagar, Akhepura, Badagaov, Bhatiya, Bishangarh Areas.

Annexure IV

Details of the villages in Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco Sensitive Zone

Along with geo co-ordinates

Sl. No.	Name of Sanctuary village	Latitude	Longitude
1	Nahargarh	26°56'15.08"N	75°48'55.70"E
2	Amer	26°59'8.19"N	75°51'4.82"E
3	Chimanpura	27° 1'23.51"N	75°54'4.74"E
4	Kukas	27° 1'50.37"N	75°53'24.08"E
5	Netiwas	27° 1'39.28"N	75°52'25.41"E
6	Khurad	27° 2'4.37"N	75°53'7.23"E
7	Taleda	27° 2'41.57"N	75°52'25.42"E
8	Badagaon Jarkhya	27° 2'14.47"N	75°51'22.67"E
9	Sisiyawas	27° 0'37.93"N	75°50'51.32"E
10	Akeda	27° 0'25.41"N	75°48'45.67"E
11	Jeslya	26°59'36.43"N	75°49'17.09"E
12	Papad	26°58'4.10"N	75°47'41.57"E
13	Kishanbag	26°57'5.81"N	75°46'54.65"E

Sl. No.	Village in Eco Sensitive Zone	Latitude	Longitude
1	Kukas	27° 1'50.37"N	75°53'24.08"E
2	Harwar	27° 3'58.08"N	75°56'25.90"E
3	Dhand	27° 4'44.03"N	75°56'20.66"E
4	Gunawata	27° 5'34.61"N	75°56'57.21"E
5	Labana	27° 6'38.16"N	75°57'45.56"E
6	Ani	27° 7'5.48"N	75°59'7.83"E
7	Achoral	27° 8'8.37"N	75°58'20.78"E
8	Jaitpura Khinchi	27° 7'58.38"N	75°55'2.24"E
9	Chhapreri	27° 6'44.47"N	75°54'51.62"E
10	Singhana	28° 5'52.77"N	75°50'0.01"E
11	Chokhalyawas urf Kacherawala	27° 4'30.74"N	75°55'2.22"E
12	Bagwada	27° 5'28.14"N	75°50'51.42"E
13	Daulatpura	27° 4'46.15"N	75°49'53.80"E

Annexure V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.09.13 18:37:59 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.